बिल का सारांश

एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) बिल, 2023

- एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 11 अगस्त, 2023 को पेश किया गया। यह एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) एक्ट, 2017 में संशोधन करता है। 2017 का एक्ट वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय सप्लाई पर आईजीएसटी की वसूली और संग्रह का प्रावधान करता है।
- **ऑनलाइन मनी गेमिंग पर आईजीएसटी**: ऑनलाइन मनी गेमिंग का एक सप्लायर, जो भारत में स्थित नहीं है, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई पर आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग उन ऑनलाइन गेम को कहा जाता है जिनमें खिलाड़ी धनराशि या धनराशि के मूल्य (मनीज़ वर्थ) की जीत की उम्मीद के साथ धनराशि का भुगतान या उसे जमा करते हैं (वर्चुअल डिजिटल एसेट सहित)। यह किसी भी खेल, योजना, प्रतियोगिता या अन्य गतिविधि पर लागू होता है, भले ही इसका परिणाम कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो। इसमें ऐसे ऑनलाइन मनी गेम शामिल हैं जिन्हें किसी भी कानून के तहत अनुमति दी जा सकती है या प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑनलाइन गेम के मायने इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर पेश किए जाने वाले गेम हैं।
- **ऑनलाइन मनी गेमिंग के सप्लायर्स के लिए पंजीकरण अनिवार्य**: ऑनलाइन मनी गेमिंग के सप्लायर्स को 2017 के एक्ट के तहत अधिसूचित सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा। अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग के किसी विदेशी सप्लायर का भारत में कोई प्रतिनिधि है, तो इस प्रतिनिधि को पंजीकरण कराना होगा और सप्लायर की ओर से आईजीएसटी का भुगतान करना होगा। अगर किसी विदेशी सप्लायर की भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं है या उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो उसे भारत में आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा। गैर-अनुपालन की स्थिति में, ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई के लिए कंप्यूटर रिसोर्सेज़ में ट्रांसमिट या होस्ट की गई किसी भी जानकारी को पब्लिक एक्सेस के लिए ब्लॉक किया जा सकता है।
- **कुछ आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी लगाने का तरीका**: एक्ट में प्रावधान है कि भारत में आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 के प्रावधानों के अनुसार लगाया और एकत्र किया जाएगा। बिल उन वस्तुओं को उपरोक्त तरीके से आईजीएसटी से छूट देता है जिन्हें जीएसटी परिषद के सुझावों पर केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है। इन वस्तुओं पर आईजीएसटी उसी तरह लगाया जाएगा जैसे वस्तुओं की अंतरराज्यीय सप्लाई पर लगाया जाता है।
- **वस्तुओं की सप्लाई का स्थान**: बिल में प्रावधान है कि किसी अपंजीकृत व्यक्ति को वस्तु (जो आयात या निर्यात नहीं किया गया है) की सप्लाई के लिए, सप्लाई का स्थान, इनवॉयस में दर्ज व्यक्ति का पता होगा। अगर इनवॉयस में कोई पता नहीं है, तो सप्लाई का स्थान सप्लायर का स्थान होगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

तुषार चक्रवर्ती
tushar@prsindia.org

11 अगस्त, 2023